भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय गोड्डा

राजस्व विविध वाद सं0– 02/2023–24
कपिल देव पासवान ....आवेदक
बनाम्
रैयान मौजा सोहड़ा एवं मौजा धपरा...........प्रतिवादी
थाना नं0–13 एवं 14 अंचल–बसंतराय

–:आदेशः–

25/01/2025	अभिलेख उपस्थापित। वर्तमान प्रक्रिया आवेदक–कपिलदेव पासवान पिता–स्व0 आनन्दी हाजरा, साकिन–सोहड़ा, थाना व अंचल –बसंतराय, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा धपरा, थाना नं0–13, खाता नम्बर–62, दाग नं0–325, रकवा–03–00–16 धूर एवं दाग नं–512 रकवा–00–15–01 धूर कुल रकवा–03–15–17 धूर, 02 एकड़ 27 डिसमिल, एवं मौजा–सोहड़ा थाना नं0–14 खाता नं0–50 दाग नं0–117 रकवा–00–16–06 धूर दाग नं0–118, रकवा–01–13–12 धूर दाग नं0–232 रकवा–00–04–10 धूर दाग नं0–234 रकवा–00–03–10 धुर दाग नं0–549 रकवा–00–11–04 धूर कुल रकवा–03–09–02 धूर 02 एकड़ 07 डिसमिल चौकीदारी जमीन का लगान निर्धारण के लिए लाया गया है। आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बसंतराय से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई थी। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी बसंतराय, ने अपने पत्रांक–276/रा0 दिनांक–13.05.2023 से लगान निर्धारण हेतु मौजा–धपरा एवं मौजा–सोहड़ा का लगान तालिका के साथ प्रतिवेदन समर्पित किया है। प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात मौजा–धपरा एवं मौजा–सोहड़ा के सोलह आना रैयत को नोटिश निर्गत कर उनसे अनापत्ति की मांग की गई है। अंचल अधिकारी, बसंतराय ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत जमीन मौजा धपरा जमाबंदी नं0–62 कुल रकवा–03–10–17 धूर एवं मौजा सोहड़ा जमाबंदी नं0–50 कुल रकवा– 03–09–02 धूर जमीन चौकीदारी जागीर जमीन है। जो गेंजर खतियान में मुरारी हाजरा चौकिदार वल्द रामचरण हाजरा के नाम से दर्ज है। इन्होने प्रतिवेदित किया है कि मुरारी हाजरा चौकिदार वल्द रामचरण हजरा के नाम से दर्ज है। इन्होने प्रतिवेदित किया है मुरारी हाजरा अपने जीवित काल में उक्त जमीन पर दखल कार रहे तत्पश्चात उनके एक मात्र पुत्र आनन्दी हाजरा जो उक्त माहाल का चौकिदार भी था। अपने पिता की उक्त चौकिदारी जागीर जमीन पर हक एवं अधिकार के साथ शांति पूर्ण दखलकार एवं जोत आबाद करते रहे। आनन्दी हाजरा अपने पीछे अपने एक मात्र पुत्र कपिलदेव पासवान को छोड़कर कर मरे। कपिलदेव पासवान वर्तमान में कार्यरत चौकिदार है एवं प्रश्नगत चौकिदारी जागीर जमीन पर रैयत चौकिदार मुरारी हाजरा के पोता एवं चौकिदार के नाते हक अधिकार के साथ दखल कार है। अंचलाधिकारी बसंतराय ने प्रश्नगत चौकिदारी जमीन का लगान तालिका के साथ लगान धार्य करने हेतु अनुशंसा किया गया है। आवेदक के आवेदन एवं अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन चौकिदारी जागीर जमीन है। गेंजर खतियान रेकड़ में आवेदक के द्वारा चौकिदार मुरारी हाजरा के नाम से दर्ज है। आवेदक कपिलदेव पासवान के द्वारा वंशावली शपथ पत्र संख्या–735 दिनांक–05.12.2024 समर्पित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक ही जमीन का एकलौता वारिश है। आवेदक रैयत मुरारी हाजरा चौकिदार का पोता एवं कार्यरत चौकिदार भी है। तथा उनका एक मात्र उत्तराधिकारी भी है, उक्त जमीन चौकिदारी जागीर होने के नाते लगान मुक्त था।

तथा जमीनदारी उन्मूलन के समय भी बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 6 के तहत भी उक्त चौकिदारी चकराना जागीर जमीन को सरकार के अधीन नहीं किया गया है। वर्तमान में आवेदक मुरारी हाजरा के उतराधिकारी के नाते प्रश्नगत उपरोक्त वर्णित जमीन पर हक अधिकार के साथ दखल कार है।

अतः अंचल अधिकारी बसंतराय के अनुशंसा के आधार पर एवं राज्य सरकार के राजस्व हित व राजस्व प्राप्ति के लिए आवेदक का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। तथा उक्त भूमि का जमीनदारी प्रथा उन्मूलन के समय से ही अंचलाधिकारी बसंतराय के द्वारा प्रतिवेदन लगान तालिका के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता है। अंचल अधिकारी बसंतराय को निदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत जमाबंदी भूमि पंजी II में आवेदक के नाम प्रविष्ट कर रेन्ट रौल के अनुसार लगान उक्त भूमि जमीनदारी प्रथा उन्मूलन के समय से ही लगान लेकर रसीद निर्गत करे। आदेश की प्रति के साथ रेन्ट रौल की एक प्रति अंचल अधिकारी बसंतराय को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

25/01/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।

25/01/25

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा।

Digitally signed by RITESH JAISWAL
Date: 2025.03.10 13:19:23 +05:30
Location: 192.168.29.124